प्रेस नोट दिनांक 03.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 03.10.2025
थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंधई पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत सब्जी बाजार ग्राम किशुनगंज से 48 पैकेट देशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियान लगातार जारी-

आज दिनांक 03.10.2025 को थाना कंधई पुलिस द्वारा अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना कंधई के उ0नि0 राजेश यादव मय हमराह का0 अनिल दक्ष एवं म0का0 उमा देवी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर सब्जी बाजार ग्राम किशुनगंज से 01 अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ मोनू पुत्र संतलाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम साल्हीपुर कंजास थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को 48 पैकेट (200 एमएल) देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 48 पैकेट (200 एमएल) देशी शराब बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 60 एक्साइज एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि मैं देशी शराब बेच कर अपना गुजारा करता हूँ। और पेड़ की ओट में रखी एक बोरी को निकाल कर दिखाते हुये बताया कि यह शराब मैं बेचने के लिए गया था किन्तु आप लोगो ने पकड़ लिया है।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री/परिवहन पर प्रभावी रोकथाम हेतु सतत अभियान संचालित किया जा रहा है।

बयान-
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जनमानस से अपील की जाती है कि समाज विरोधी व अवैध गतिविधियों में संलिप्त ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएँ। आपकी दी गई सूचना पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

प्रेस नोट दिनांक- 03.10.2025
थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस ने 02 बकरी चोरों को किया गिरफ्तार, साथ ही 02 बकरिया व कार बरामद की गई

प्रतापगढ़।
दिनांक 02.10.2025 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेकीपट्टी निवासी की दो बकरियों को कार सवार दो व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था। घटना की सूचना पर वादी एवं ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए तत्परता से पीछा कर शकरदहा-नेवादा के बीच घेराबंदी कर वाहन को रोकते हुए दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।

पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान निम्नानुसार हुई–

01. मो0 आकिल उर्फ अल्लन पुत्र मो0 शरीफ निवासी सरायइस्माइल बलकसराय, थाना उतरांव, जनपद प्रयागराज।
02. पप्पू सरोज उर्फ फिरोज पुत्र स्व0 मो0 हकीम निवासी ग्राम लालगंज अमरसरपुर, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को विधिक कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 209/2025 धारा 303 (2)/317 (2) बीएनएस बनाम 02 नामजद अभियुक्त पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी-
02 बकरिया व कार बरामद ।

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस का अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सतत् रूप से जारी है।

प्रेस नोट दि0-03.10.2025
थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के निरीक्षक उमेशचन्द्र मय हमराह उ0नि0 श्री अतुल यादव व मय हे का शिशुपाल सिह हस्बुल तलब मय हमराह म0का0 चंचल चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 66/25 धारा 191(2)/191 (3)/190/115(2)/109(1)/351(3)/126(2)/288 भारतीय न्याय संहिता थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी शाहरुख पुत्र मोबीन निवासी ग्राम रामपुर शिवगढ़

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शाहरुख पुत्र मोबीन निवासी ग्राम रामपुर शिवगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम-
निरीक्षक उमेशचन्द्र मय हमराह उ0नि0 श्री अतुल यादव व मय हे का शिशुपाल सिह हस्बुल तलब मय हमराह म0का0 चंचल चौधरी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।